



कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर (म.प्र.)

कालोनी सेल विभाग

E-mail : colonycell@gmail.com



क्रमांक...2336./कॉलोनी सेल/2019

दिनांक ...19 SEP. 2019

प्रति,

- ✓(1) मेसर्स सार्थक रियल बिल्ट प्रायवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर श्री अश्विन पिता श्री चन्द्रसिंह मेहता, पता:- 12/1, न्यू पलासिया, इन्दौर (म.प्र.), (2) श्री प्रेमनारायण पिता श्री ध्रुवजी अवस्थी एवं श्री चेतन पिता श्री प्रेमनारायण अवस्थी, निवासी:- ग्राम टिगरिया बादशाह, तहसील हातोद, जिला इन्दौर (म.प्र.) तर्फे विकासकर्ता मेसर्स सार्थक बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स तर्फे भागीदार श्री अश्विन पिता श्री चन्द्रसिंह मेहता, पता:- 12/1, न्यू पलासिया, इन्दौर (म.प्र.)

विषय :- ग्राम टिगरिया बादशाह, तहसील मल्हारगंज जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 57/1/3, 119/2, 57/1/4, 118, 119/3 कुल रकबा 2.922 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास (सिंगापुर लाईफ स्टार्डिल बी-ब्लॉक) उपयोग की अनुमति बाबद्।

संदर्भ :- आपका आवेदन आवक क्रमांक 29 दिनांक 04/04/2019 एवं पत्र आवक क्रमांक 1205 दिनांक 29/08/2019 के क्रम में।

आवेदक को निम्नलिखित शासकीय विभागों से अनुमति/अनुमतियां प्राप्त है।

- कार्यालय नगर पालिक निगम इन्दौर द्वारा म.प्र. नगर पालिका कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निबंधन तथा शर्तें नियम 1998 के प्रावधान अनुसार कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 648/कॉलोनी सेल/2014/ इन्दौर दिनांक 16/04/2014 जारी किया गया था, जिसका नवीनीकरण पत्र क्रमांक 307/कॉलोनी सेल/2019 दिनांक 27/04/2019 से दिनांक 10/04/2024 तक की समयावधि के लिये किया गया है एवं कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 333/कॉलोनी सेल/2008/ इन्दौर दिनांक 29/03/2008 जारी किया गया था, जिसका नवीनीकरण पत्र क्रमांक 853/कॉलोनी सेल/2018 दिनांक 31/05/2018 से दिनांक 02/03/2023 तक की समयावधि के लिये किया गया है
- प्रकरण में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्दौर द्वारा पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/6767/आईएनडीएलपी-3899/17/नगानि/2018 इन्दौर दिनांक 02/08/2018 से आवासीय भूखण्डीय विकास (सिंगापुर लाईफ स्टार्डिल बी-ब्लॉक) उपयोग हेतु अभिन्यास अनुमोदित किया गया है।
- प्रश्नाधीन भूमि के आवासीय व्यपवर्तन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मल्हारगंज क्षेत्र, जिला इन्दौर के द्वारा जारी पावती भाग दो दिनांक 30/03/2019 की प्रति एवं उक्त पावती में उल्लेखित चालान क्रमांक 00292459 दिनांक 19/12/2018 तथा चालान क्रमांक 00292458 दिनांक 1/12/2018 की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- अ.वि.अ. (राजस्व) एवं नजूल अधिकारी, तहसील हातोद, जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा पत्र क्रमांक/57/रीहातोद/नजूल/2018 हातोद दिनांक 17/01/2018 से उल्लेख किया गया है, कि आवेदित/प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि नहीं होकर निजी स्वत्व की भूमि है।

6. प्रभारी मुख्य नगर नियोजक, इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर द्वारा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्दौर को प्रेषित पत्र क्रमांक/5133/रूपां/टिगरिया बादशाह दिनांक 11/08/2017 से सशर्त अभिमत दिया गया है, तदनुसार भूमि वर्तमान में प्राधिकारी द्वारा घोषित किसी भी योजना में समाविष्ट नहीं है।
7. आवेदक द्वारा निगम के पक्ष में शपथ पत्र क्रमांक 22603/19 दिनांक 04/04/2019 का प्रस्तुत करते हुए लेख किया है कि उक्त भूमि सिलिंग, नजूल, नदी, नाले, प्राधिकारी की योजना अथवा अन्य किसी भी शासकीय भूमि में सम्मिलित नहीं है।
8. भूमि की सर्वे रिपोर्ट एडवोकेट श्री हितेन्द्र यु.के. त्रिपाठी, कार्यालयीन पता:— चेम्बर नंबर 110, हाईकोर्ट एडवोकेट चेम्बर्स, हाईकोर्ट कंपस, एन.जी. रोड, इन्दौर, (म.प्र.) द्वारा प्रस्तुत की है, जिसमें यह लेख है कि उपरोक्त भूमि आवेदकों के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर समस्त प्रकार के भार-बोझ व अंतरण से मुक्त अवस्था में है।
9. भू-स्वामी श्री प्रेमनारायण पिता श्री धुलजी अवस्थी, निवासी:— ग्राम टिगरिया बादशाह, तहसील हातोद, जिला इन्दौर (म.प्र.) एवं विकासकर्ता मेसर्स सार्थक बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स तर्फे भागीदार श्री अश्विन पिता श्री चन्द्रसिंह मेहता, पता:— 12/1, न्यू पलासिया, इन्दौर (म.प्र.) के मध्य पंजीकृत विकास अनुबंध लेख ई-पंजीयन क्रमांक एमपी179152016ए1019547 दिनांक 11/01/2016 की प्रति एवं श्री प्रेमनारायण अवस्थी पिता श्री धुलजी अवस्थी एवं श्री चेतन अवस्थी पिता श्री प्रेमनारायण अवस्थी तथा मेसर्स सार्थक बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स तर्फे भागीदार श्री अश्विन पिता श्री चन्द्रसिंह मेहता, पता:— 12/1, न्यू पलासिया, इन्दौर (म.प्र.) के मध्य पंजीकृत अनुबंध लेख ई-पंजीयन क्रमांक एमपी179152019ए1583860 दिनांक 19/08/2019 की प्रति प्रस्तुत की है।
10. भू-स्वामी के प्रमाण स्वरूप विक्रय अनुबंध लेख एवं भू-अधिकार एवं ऋण-पुस्तिका तथा खसरा बी-I एवं पी-II की प्रति प्रस्तुत की है। तदनुसार भूमि आवेदक के नाम दर्ज है, जिसकी प्रति संलग्न हैं।
11. मेसर्स गोल्डन हैरिटेज डेवलपर्स (भागीदारी फर्म) तर्फे भागीदार श्री देव कुमार टोंग्या पिता श्री फुलचंद जी टोंग्या, निवासी:— 237/261, एम.टी. क्लॉथ मार्केट, इन्दौर द्वारा श्री टी.एन. जैन, एम.पी. लॉ क्लिनिक (द लॉ पीपल), ऑफिस पता:— 303, एम्बेसी टॉवर, 1-ए, न्यू पलासिया, अबोव अलाहाबाद बैंक, नियर जंजीरवाला चौराहा, इन्दौर (म.प्र.) द्वारा प्रस्तुत आपत्ति आवक क्रमांक 1791 दिनांक 25/09/2018 पर विधिक अभिमत श्री ऋषिकेश तिवारी अभिभाषक से प्राप्त करते हुए प्राप्त अभिमत के क्रम में आपत्ति को पत्र क्रमांक 1389 दिनांक 12/07/2019 से खारिज किया गया है।
12. सिंगल डोर की बैठक दिनांक 02/05/2019 में प्राप्त अभिमत/अनापत्ति को दृष्टिगत रखते हुए विकास अनुमति जारी करने की अनुशंसा की गई है।

2. सुपरविजन चार्जस की राशि रूपये 5,08,536/- (अक्षरी रूपये पांच लाख आठ हजार पांच सौ छत्तीस) नेफ्ट दिनांक 19/07/2019 के माध्यम से कोटक महिन्द्रा बैंक शाखा:- 580, एम.जी. रोड़, इन्दौर के खाता क्रमांक 6311543328 में जमा।
3. आपको द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र क्रमांक 43092/2019 दिनांक 19/07/2019 अनुसार ओव्हरहेड टैंक का निर्माण आपको स्वयं करना होगा एवं ओव्हरहेड टैंक की ड्राईंग-डिजाईन तकनीकी संस्था से अनुमोदन करना होगी।
4. कर्मकार कल्याण उपकर की राशि रूपये 2,54,268/- (अक्षरी रूपये दो लाख चौपन हजार दो सौ अड़सठ) डी.डी. दिनांक 18/07/2019 से सचिव म.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, इन्दौर के संबंधित खाता क्रमांक 04960100009000 में जमा।
5. नर्मदा केपीटल रिनियल शुल्क की राशि रूपये 15,24,262/- (अक्षरी रूपये पंद्रह लाख चौवीस हजार दो सौ बासठ) आर.टी.जी.एस. दिनांक 20/07/2019 के माध्यम से कोटक महिन्द्रा बैंक शाखा 580, एम.जी.रोड़, इन्दौर के खाता क्रमांक 6011551340 में जमा।
6. मध्यप्रदेश नगर पालिक कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें नियम 1998 संशोधन विधेयक 19 अप्रैल 2012 के नियम 10 अनुसार आश्रय शुल्क की राशि रूपये 16,62,500/- (अक्षरी रूपये सोलह लाख बासठ हजार पांच सौ) आर.टी.जी.एस. दिनांक 18/07/2019 के माध्यम से कोटक महिन्द्रा बैंक शाखा एम.जी.रोड़, इन्दौर के निगम खाता क्रमांक 6711196179 में जमा।
7. बाह्य विकास शुल्क की राशि रूपये 12,91,000/- (अक्षरी रूपये बारह लाख एक हजार) आर.टी.जी.एस. दिनांक 19/07/2019 के माध्यम से कोटक महिन्द्रा बैंक शाखा एम.जी. रोड़, इन्दौर के खाता क्रमांक 6311543328 में जमा।
8. संपत्ति कर वर्ष 2019-20 जमा संबंधी बुक नंबर 2211 एसीद क्रमांक 38 दिनांक 26/07/2019 की प्रति एवं ऑनलाईन जारी संपत्तिकर अनापत्ति दिनांक 11/09/2019 की प्रति प्रस्तुत की है।

उपरोक्त राशि जमा की गई होने से एवं संबंधित शासकीय विभागों से अनापत्ति एवं स्वीकृति प्राप्त होने से एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अभिन्यास अनुमोदित होने से ग्राम टिगरिया बादशाह, तहसील मल्हारगंज जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 57/1/3, 119/2, 57/1/4, 118, 119/3 कुल रकबा 2.922 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास (सिंगापुर लाईफ स्टायल बी-ब्लॉक) उपयोग हेतु मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 और उसके अन्तर्गत निर्मित म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1998 के अधीन तथा सिंगल डोर प्रणाली की बैठक दिनांक 02/05/2019 को बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार निम्न शर्तों के अधीन विकास अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. निगम के पक्ष में धरोहर के रूप में रखे गये भूखण्ड वाले स्थान पर सूचना बोर्ड लगाना होगा, तथा उस पर भूखण्ड नगर निगम में धरोहर है, तथा उनका

4. भूखण्डों का विक्रय पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर करना होगा।
5. आवेदक के भू-स्वामित्व के संबंध में यदि कोई वाद माननीय न्यायालय अथवा अन्य किसी शासकीय विभाग में प्रचलित वाद पर यदि कोई निर्णय आवेदक के विरुद्ध पारित होता है, तो ऐसी स्थिति में जारी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी एवं पारित निर्णय का पालन आवेदक को करना होगा।
6. आवेदक द्वारा कॉलोनी के विकास के कुल भूखण्डीय क्षेत्रफल के पेटे विकास लागत के 125 प्रतिशत के मान से अभिन्यास में लाल रंग से अंकित सवर स्थल के 1. भूखण्ड क्रमांक 01 क्षेत्रफल 3600 वर्गफीट, 2. भूखण्ड क्रमांक 09 क्षेत्रफल 820 वर्गफीट, 3. भूखण्ड क्रमांक 10 क्षेत्रफल 825 वर्गफीट, 4. भूखण्ड क्रमांक 11 क्षेत्रफल 835 वर्गफीट, 5. भूखण्ड क्रमांक 12 क्षेत्रफल 860 वर्गफीट, 6. भूखण्ड क्रमांक 13 क्षेत्रफल 910 वर्गफीट, 7. भूखण्ड क्रमांक 14 क्षेत्रफल 970 वर्गफीट, 8. भूखण्ड क्रमांक 15 क्षेत्रफल 1030 वर्गफीट, 9. भूखण्ड क्रमांक 16 क्षेत्रफल 1090 वर्गफीट, 10. भूखण्ड क्रमांक 17 क्षेत्रफल 1150 वर्गफीट, 11. भूखण्ड क्रमांक 18 क्षेत्रफल 1210 वर्गफीट, 12. भूखण्ड क्रमांक 19 क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट, 13. भूखण्ड क्रमांक 20 क्षेत्रफल 1100 वर्गफीट, 14. भूखण्ड क्रमांक 21 क्षेत्रफल 980 वर्गफीट, 15. भूखण्ड क्रमांक 22 क्षेत्रफल 860 वर्गफीट, 16. भूखण्ड क्रमांक 23 क्षेत्रफल 800 वर्गफीट, 17. भूखण्ड क्रमांक 24 क्षेत्रफल 820 वर्गफीट, 18. भूखण्ड क्रमांक 25 क्षेत्रफल 820 वर्गफीट, 19. भूखण्ड क्रमांक 26 क्षेत्रफल 820 वर्गफीट, 20. भूखण्ड क्रमांक 27 क्षेत्रफल 820 वर्गफीट, 21. भूखण्ड क्रमांक 28 क्षेत्रफल 820 वर्गफीट, 22. भूखण्ड क्रमांक 29 क्षेत्रफल 820 वर्गफीट, 23. भूखण्ड क्रमांक 30 क्षेत्रफल 820 वर्गफीट, 24. भूखण्ड क्रमांक 31 क्षेत्रफल 820 वर्गफीट, 25. भूखण्ड क्रमांक 32 क्षेत्रफल 820 वर्गफीट, 26. भूखण्ड क्रमांक 33 क्षेत्रफल 820 वर्गफीट, 27. भूखण्ड क्रमांक 34 क्षेत्रफल 820 वर्गफीट, 28. भूखण्ड क्रमांक 35 क्षेत्रफल 820 वर्गफीट, 29. भूखण्ड क्रमांक 36 क्षेत्रफल 820 वर्गफीट, 30. भूखण्ड क्रमांक 37 क्षेत्रफल 820 वर्गफीट, 31. भूखण्ड क्रमांक 38 क्षेत्रफल 820 वर्गफीट, 32. भूखण्ड क्रमांक 39 क्षेत्रफल 2150 वर्गफीट, 33. भूखण्ड क्रमांक 43 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट, 34. भूखण्ड क्रमांक 44 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट, 35. भूखण्ड क्रमांक 45 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट, 36. भूखण्ड क्रमांक 46 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट, 37. भूखण्ड क्रमांक 47 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट, 38. भूखण्ड क्रमांक 48 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट, 39. भूखण्ड क्रमांक 49 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट, 40. भूखण्ड क्रमांक 50 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट, 41. भूखण्ड क्रमांक 51 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट, 42. भूखण्ड क्रमांक 52 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट, 43. भूखण्ड क्रमांक 53 क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट, 44. भूखण्ड क्रमांक 54 क्षेत्रफल 533 वर्गफीट, 45. भूखण्ड क्रमांक 59 क्षेत्रफल 533 वर्गफीट, 46. भूखण्ड क्रमांक 146 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट, इस प्रकार कुल 46 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 47649 वर्गफीट अर्थात् 4428.05 वर्गमीटर लगभग है, (जिनका मूल्य रुपये 3,18,81,960/-) है, जो विकास कार्य पूर्ण होने तक ई-पंजीयन क्रमांक एमपी179152019ए1603112 दिनांक 27/08/2019 से धरोहर के रूप में रखे

7. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्दौर द्वारा अनुमोदित अभिन्यास पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/6767/आईएनडीएलपी-3899/17/नग्रानि/2018 इन्दौर दिनांक 02/08/2018 के अनुसार आवेदक को चयनित विकल्प अनुसार समाज के कमजोर आय वर्ग हेतु 14 भूखण्ड एवं निम्न आय वर्ग हेतु 09 भूखण्ड आरक्षित रखना होगा एवं जिनका आवंटन नियमों के प्रावधान अनुसार करना होगा, तदुपरांत ही धरोहर भूखण्ड मुक्त किये जा सकेंगे।
8. आवेदक द्वारा विकास के पूर्व इन्दौर विकास प्राधिकारी की विद्यमान अथवा प्रस्तावित योजना के प्रस्तावों एवं अभिन्यास में दर्शित आस-पास के विद्यमान विकास से समन्वय आवश्यक होगा।
9. ओव्हरहेड टैंक का निर्माण आवेदक को स्वयं करना होगा एवं ओव्हरहेड टैंक की ड्राईंग-डिजाईन तकनीकी संस्था से अनुमोदन कराना होगी।
10. शुल्कों की गणना के अंतर की स्थिति में नियमानुसार अंतर की राशि जमा कराने का दायित्व आवेदक का होगा।
11. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित अभिन्यास पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/6767/आईएनडीएलपी-3899/17/नग्रानि/2018 इन्दौर दिनांक 02/08/2018 में दर्शित अनुसार सड़कों की चौड़ाई रखना होगी, एवं उद्यान हेतु आरक्षित भूमि 2402 स्क्वियर मीटर भूमि पर उद्यान विकास कार्य पूर्ण करना होगा।
12. रोड सेट बैक हेतु आरक्षित भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने पाये यह सुनिश्चित करना होगा।
13. उपरोक्त कॉलोनी में विद्युत पोल पर लाइट फिटिंग लगानी होगी। लाईट फिटिंग नहीं लगाने की दशा में 3,000/- रूपये प्रति पोल के मान से एविस्स बैंक, शाखा:- ग्राऊण्ड फ्लोर, 139 फडनीस कॉलोनी, ए.बी. रोड, इन्दौर (म.प्र.) की राशि रूपये 1,20,000/- (अक्षरी रूपये एक लाख बीस हजार) की एफडीआर क्रमांक U23023375076 दिनांक 29/07/2019 की प्रस्तुत की है, जो विद्युत पोलो पर फिटिंग लगाने के उपरांत ही मुक्त होगी।
14. उपरोक्त कॉलोनी में वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी। सार्वजनिक उद्यान में जहां वर्षा के समय पानी इकट्ठा होना है, वहां वॉटर रिचार्जिंग का पिट बनवाना होगा।
15. कॉलोनी के पास स्थित नर्मदा की मुख्य लाईन से कनेक्शन लेने हेतु कॉलोनाइजर को नियमानुसार पृथक से अनुमति प्राप्त करना होगी, एवं स्वयं के व्यय से उक्त लाईन को जोड़ना होगा।
16. पर्यावरण विभाग/प्रदूषण मण्डल का प्रमाण पत्र आवेदक को पृथक से प्राप्त करना होगा। (आवश्यक होने की स्थिति में।)
17. प्रस्ताव अनुसार सेप्टिक टैंक/एस.टी.पी./कचरा घर/ऐमीनिटीस/ड्रांसफार्मर इत्यादि का नियमानुसार निर्माण करना होगा।

21. सदर स्थल पर आने-जाने वाले रास्तों पर अतिक्रमण न हो व उक्त रास्ते बंद न हों, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी।
22. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 में रिकार्ड अनुसार शासकीय, नजूल, अतिशेष घोषित भूमि व प्रचलित रास्ते व पानी निकासी के स्रोत पर अतिक्रमण न हो यह सुनिश्चित करना होगा।
23. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्दौर द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में अंकित समस्त शर्तों का पूर्णतः पालन करना होगा।
24. भूमि के संबंध में एवं अद्योत्संरचना के संबंध में कोई वाद आदि उत्पन्न होने पर इसकी समस्त जवाबदारी आवेदक की होगी।
25. प्रकरण में प्रावधान अनुसार अन्य शुल्कों के अतिरिक्त बाह्य विकास शुल्क के रूप में राशि रूपये 12,01,000/- (अक्षरी रूपये बारह लाख एक हजार) जमा कराये गये हैं। लेकिन ड्रेनेज संयोजन के समय झोन की ड्रेनेज व्यवस्था एवं भौगोलिक स्थिति अनुसार मानक के आधार पर प्रावधान अनुसार ड्रेनेज संयोजन के आवश्यक शुल्क जमा कराते हुये संयोजन की पृथक से स्वीकृति प्राप्त करना होगी।
26. भूमि विकास नियम 2012 के अंतर्गत नियमों का पालन करना होगा।
27. भू-संपदा विनियामक अधिनियम 2016 (रिा एक्ट) के तहत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
28. प्रावधानों के तहत सदर स्थल पर वृक्षारोपण एवं उसका रख-रखाव सुनिश्चित हो।
29. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, नजूल, इन्दौर विकास प्राधिकरण, सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा, तहसीलदार तहसील इन्दौर, एवं अन्य समस्त शासकीय विभागों द्वारा दी गयी समस्त शर्तों का पूर्णतः पालन करना होगा किसी भी विभाग की आपत्ति आने पर जारी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
30. उक्त स्वीकृति प्रस्तुत स्वामित्व के दस्तावेज के आधार पर जारी की जा रही है, जो किसी प्रकार के स्वामित्व सिद्ध करने हेतु सहायक नहीं होगा और ना ही किसी कानूनी कार्यवाही हेतु सहायक होगा। नगर निगम इन्दौर अन्य कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगी।
31. स्थल पर कॉलोनी के विकास तथा निर्माण संबंधी कार्य के लिये नियुक्त श्रमिकों के लिये न्यूनतम आवश्यक सुविधायें जैसे पीने का पानी, आश्रय, शौचालय आदि का प्रबंध करना अनिवार्य होगा। तदुपरांत ही स्थल पर विकास कार्य प्रारंभ किये जावे।
32. स्थल पर विकास कार्य संलग्न अनुमोदित प्राक्कलन (Estimate) अनुसार हो यह सुनिश्चित करे। किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में पृथक से सूचित कर उसका अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।
33. कॉलोनी की विकास अनुमति जारी होने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के

आपके द्वारा दी गई जानकारी एवं मालकी दस्तावेजों में छुपाये गये तथ्यों के उजागर होने पर एवं भूमि स्वागित्त्व/सीमा संबंधी किसी प्रकार के विवाद या किसी विभाग की आपत्ति आने पर तथा उपरोक्त उल्लेखित किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में दी गई विकास की अनुमति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
(नस्ती पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत)



उपायुक्त
कॉलोनी सेल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक :

क्रमांक :/कॉलोनी सेल/19

प्रतिलिपि :-

1. सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, पता:- रेरा भवन, अरेरा हिल, मेनरोड़ नंबर 1, भोपाल - 462011 की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद सीमा शुल्क एवं सेवाकर, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
4. सक्षम प्राधिकारी, नगर तथा भूमि सीमा कार्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं नालाप्राधिकारी, तहसील मल्हारगंज, जिला इन्दौर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. अपर आयुक्त, कॉलोनी सेल, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदुषण कन्ट्रोल बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय स्कीम नंबर 78, पार्ट-1, अरण्या, विजय नगर, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. कार्यपालन यंत्री, भवन अनुज्ञा शाखा मुख्यालय, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ
10. कार्यपालन यंत्री, जल प्रदाय, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ
11. उपपंजीयक, क्षेत्र क्रमांक 04, पंजीयन कार्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. उपायुक्त, राजस्व, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. भवन अधिकारी, झोन क्रमांक 17, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. झोनल अधिकारी, झोन क्रमांक 17, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर